



172

श्रीमान राजस्व मण्डल अकादियर
न्यायालय कलेक्टर महोदय, टीकमगढ, जिला- टीकमगढ §म०प्र०§

निगरानी प्र० क्र०

सन 2012 - R-3043-II/12

1- लालाराम तनय कुट्टु दी मर निवासी रावली
तहसील निवाड़ी, जिला- टीकमगढ §म०प्र०§

2- मूलचन्द्र तनय गिरधारी केवट निवासी रावली
तहसील निवाड़ी, जिला- टीकमगढ §म०प्र०§

बनाम

-- निगरानीकर्तागण /
आवेदकगण

1- राजकुमार तनय गोरे लाल अहिरसार

2- अजेश तनय गोरेलाल अहिरवार निवासी विनवारा
तहसील निवाड़ी, जिला- टीकमगढ §म०प्र०§

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू. रा. सं.
अन्तर्गत अधिनस्थ रा० नि० मण्डल तरीचरकलों के प्र०
क्र० 343/12/2011-12 आदेश दिनांक 17.5.2012
के विषय -

महोदयजी,

प्रार्थी निगरानीकर्ता/ आवेदकगण सादर विनय करते है कि-

§1§ यह कि अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकलों द्वारा पारित आदेश
दिनांक 17.5.2012 विधि विधान के अनुकूल न होकर धारा 129 म० प्र० भू. रा.
संहिता के प्रावधानों के विषय होने से उक्त आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

§2§ यह कि अनावेदकगणों द्वारा एक आवेदन भूमि ख. न. 209/2/2, रकबा 0.868
हे० स्थित ग्राम रावली, की भूमि का सीमांकन कराने हेतु दिनांक 1.5.2012 को-
आवेदन कलेक्टर महोदय टीकमगढ के यहाँ प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में सीमांकन-
एस. एल. आर. म. महोदय द्वारा कराने हेतु निवेदन किया था।

परन्तु उक्त सीमांकन एस. एल. आर. से न कर राजस्व निरीक्षक द्वारा-
किया गया है जबकि आवेदक ने राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराने हेतु कोई-
आवेदन नहीं दिया था जिससे उक्त आदेश स्वतः निरस्त किए जाने योग्य है।

§3§ यह कि अनावेदकगण द्वारा अपने आवेदनपत्र में सह छातेदारों एवं सरहदी
कास्तकारों को, पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा सीमांकन की कोई भी सूचना

पी. ए. ए. के शर्मा को
द्वारा आज दि. 11-9-12 को
प्रस्तुत
कलेक्टर
11-9-12
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

A
11-9-12
S. K. Pathak

Handwritten signature

